# // कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला–रतलाम (म.प्र.) //

क्रमांकः–पुअ// रत/ रनि/ 1536 /26 दिनांक 12 /05/2026

## –::ई-निविदा आमंत्रण विज्ञप्ति ::–

जिला रतलाम वित्तीय वर्ष 2026-2027 में आने वाले पर्व विशेष, त्यौहारो एवं अन्य कानून व्यवस्था ड्यूटी व वीआईपी/वीवीआईपी ड्यूटी हेतु लगने वाले जिले के बल व ड्यूटी हेतु उपलब्ध होने वाले अन्य इकाईयों के बल को नाश्ता एवं भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के कार्य हेतु योजना क्रमांक मांग संख्या 003-2055 पुलिस –00 –109– 9999– 4491 सामान्य व्यय (जिला स्थापना) 34–004 राशन का मूल्य अंतर्गत नाश्ता एवं भोजन पैकेट आपूर्ति (उपलब्ध) कराने की व्यवस्था अनुभवी फर्मों के माध्यम से निम्न प्रारुप में दर एवं मैन्यू अनुसार कराया जाना है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य हेतु ऑनलाईन खुली निविदाएं सारणी अनुसार **www.MPTenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। इच्छूक नाश्ता एवं भोजन प्रदायदाता का नाश्ता एवं भोजन का मेन्यू विज्ञप्ति प्रोफार्मा पुलिस अधीक्षक कार्यालय / रक्षित निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त निविदाए दिनांक –27.05.2026 के 13:00 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय/रक्षित निरीक्षक कार्यालय मे निविदाकर्ता प्रतिनिधी एवं क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी। कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः–

| **क्रमांक** | **प्रकार** | **दर** | **मैन्यू** |
|---|---|---|---|
| 01. | नाश्ता (पैकिंग सहित) | 20/- प्रति व्यक्ति | पोहा, उबले हुए चने, उपमा, समोसा, मौसम अनुसार फल व चाय |
| 02. | दोपहर भोजन पैकिंग सहित) | 40/- प्रति व्यक्ति | रोटी-6, सब्जी, दाल, चावल, सलाद,अचार, नमकीन, समय-समय पर आवश्यकतानुसार 01नग मिठाई |
| 03. | रात्रि भोजन पैकिंग सहित) | 40/- प्रति व्यक्ति | |

**समय सारणी–**

| **क्रमांक** | **विवरण** | **दिनांक/ समय** |
|---|---|---|
| 01. | निविदा प्रकाशन दिनांक | 14.05.26 के 12:00 बजे से |
| 02. | निविदा जमा करने की प्रारंभ दिनांक | 14.05.26 के 12:00 बजे से |
| 03. | निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक | 02.06.26 के 17:00 बजे से |
| 04 | निविदा खोलने की दिनांक | 03.06.26 के 13:00 बजे से |

**निविदा शर्तेः-**

1. निःशुल्क भोजन मद में पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा निर्धारित दर से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। नाश्ता एवं भोजन समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थानीय स्तर की फर्मों द्वारा निविदा में भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. निविदा के संबंध में रक्षित निरीक्षक कार्यालय पुलिस लाईन रतलाम संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
3. शासन द्वारा समय-समय पर बजट उपलब्ध होने पर ही बिल का भुगतान किया जावेगा एवं भुगतान में किसी कारणवश विलंब होने पर निविदाकार अतिरिक्त भुगतान, ब्याज अथवा अन्य दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

4. निविदाकार संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह निविदादाता से बजट उपलब्ध नही होने की स्थिति में समय पर बिल का भुगतान नहीं होने पर भी कम से कम तीन से छः माह तक नाश्ता एवं भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने में सक्षम हो।
5. विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का भाड़ा, बिजली, पानी एवं अन्य चार्जेंस वहन नहीं किये जायेगें।
6. भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, खराबी, विलंब, शिकायत अथवा किसी अन्य कमी के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
7. निविदाकार को भोजन बनाने हेतु पृथक से कोई स्थान उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
8. विभाग को पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित दर पर एक से अधिक फर्म का चयन करने का अधिकार होगा जो निविदा में चयनित फर्म की दर एवं सामग्री के बराबर मात्रा पर नाश्ता एवं भोजन पैकेट उपलब्ध करवा दे। आवश्कतानुसार विभाग उक्त फर्मों में कार्या विभाजित कर सकेगा।
9. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी दरें जीएसटी सहित अंकित की जायेगी पृथक से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर/शुल्क देय नहीं होगा।
10. निविदा दो भागों में आमंत्रित की जायेगी (अ) टेक्नीकल बिड (ब) वित्तिय/ वाणिज्यिक बिड निविदाकार को निर्धारित टेण्डर शुल्क एवं EMD जमा करना अनिवार्य है जिसकी जमा रसीद टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
11. जिला पुलिस इकाई में आकस्मिक कानून व्यवस्था की ड्यूटी निर्मित होने पर बल को तुरंत ड्यूटी में लगाया जाता है इस हेतु ड्यूटी अनुसार जिले का बल या जिले के अतिरिक्त अन्य इकाईयों से आमद आये बल को आवश्यकता अनुसार नाश्ता एवं भोजन पैकेट देने पड़ते है। आपातकालीन ड्यूटी में आवश्यकता होने पर सूचना देने के 90 मिनिट के अंतराल में नाश्ता एवं भोजन पैकेट उपलब्ध कराये जाने होगें नाश्ता एवं भोजन पैकेट निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में भुगतान राशि में 10 प्रतिशत तक कटोत्रा किया जावेगा।
12. नाश्ता एवं भोजन पैकेट की गुणवत्ता खराब होने पर भोजन पैकेट का किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा।
13. नाश्ता एवं भोजन पैकेट की पैकेजिंग अच्छी गुणवत्ता एवं मानक अनुरुप होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकुल प्रभाव न हो एवं सब्जी, दाल व अन्य खाद्य सामग्री के साथ नही फेले। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यादेश निरस्त किया जाकर भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. नाश्ता एवं भोजन बनाने व पैकिंग करने वाले रसोईघर/स्थान पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखकर नाश्ता एवं भोजन बनाने में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री (कच्ची सामग्री जैसे- सब्जियाँ, दुध एवं अन्य उत्पाद आदि) गुणवत्तापूर्ण एवं शुद्ध पानी का उपयोग होना चाहिए। आदेशानुसार नाश्ता एवं भोजन मेन्यू में परिवर्तन किया जा सकता है।
15. निविदाकार संस्था क्रियाशील होकर उसका पंजीयन जीवित होना अनिवार्य है।
16. निविदा जारीकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।
17. निविदाकारों को निम्नानुसार दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
    I. वित्तीय वर्ष 2023-2024, 2024-25 एवं 2025-2026 में से कोई भी 02 वर्ष की सीए द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट / सी.ए. का न्यूनतम 25.00 लाख का टर्न ओवर सर्टिफिकेट, जिस पर यूडीआईएन नम्बर अंकित हो।
    II. फर्म प्रोपाइटर के आधार एवं पेन नम्बर की छायाप्रति।
    III. फर्म की फूड लायसेंस की सत्यापित प्रति।
    IV. मप्र का वाणिज्य कर अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रैशन नंबर एवं जीएसटी रिटर्न जमा करने की छाया प्रति।
    V. निविदा प्राप्ति रसीद।

VI. निविदाकार का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज न होने का प्रमाण पत्र।

VII. निविदाकार को जिले में नाश्ता एवं भोजन पकाकर गर्म, ताजा वितरित करने का कम से कम 02 अन्य किसी शासकीय विभाग में कार्य करनें का अनुभव प्रमाण पत्र

VIII. पुलिस वेरीफिकेशन

IX. निविदा में भाग लेने से पूर्व निविदाकार कों दिनांक 02/06/26 के 12.00 बजे रक्षित निरीक्षक कार्यालय में नाश्ता एवं भोजन का सेंपल टेस्ट कराना होगा नाश्ता एवं भोजन की पैकेजिंग, गुणवत्ता एवं स्वाद सही होने पर इकाई द्वारा जारी प्रोफार्मा निविदाकार को कार्यालय से प्राप्त करना होगा जिसकों ई- निविदा में भाग लेने हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा।

18. निविदा फार्म को दस्तावेज के साथ ऑनलाईन अपलौड किया जाना अनिवार्य है। निविदाकार जो भी दस्तवावेज जमा करें स्पष्ट एवं प्रत्येक पृष्ट पर मय सील के अभिप्रमाणिक कर लेख किया जावे।

19. समयावधि व गुणवत्ता के अनुसार सामग्री प्रदाय करने मे उदासिनता बरतने पर जमानत राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

20. कार्यादेश के पूर्व 1,000 रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध तैयार कर उपलब्ध कराना होगा ओर साथ मे निविदा प्रतिभूति राशि रुपये 1,00,000/- रुपये की डीडी पुलिस अधीक्षक रतलाम के नाम से तैयार करवाकर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि गारंटी के रूप मे उपलब्ध कराना होगा। कार्य मे विवाद होने की स्थिति मे उक्त कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि इकाई के खाते मे जमा कराये जाने की कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक रतलाम को होगा।

21. किसी भी समय शर्तो मे संशोधन करने अथवा निविदा निरस्त करने अथवा कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक रतलाम के पास सूरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति उतपन्न होने पर पुलिस अधीक्षक रतलाम का निर्णय अंतिम व मान्य होगा विवाद की स्थिति मे न्याय क्षेत्र रतलाम होगा।

**पुलिस अधीक्षक**
**जिला–रतलाम**

Signature Not Verified
Digitally signed by VIVEK KUMAR LAL
Date: 2026.05.13 17:00:38 IST
Location: Madhya Pradesh-MP